न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 72 / 2018 जिला दौसा

1. कजोड पुत्र कान्या
2. छोटू पि.मू.नानगा
3. गोपीलाल पुत्र अर्जुन
   समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम नालावास, तहसील लालसोट, जिला दौसा (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. कमली पत्नि गोविन्दा
2. रामू पुत्र गोविन्दा
3. राजेश पुत्र गोविन्दा
4. विष्णु पुत्र गोविन्दा
   समस्त जाति मीना, निवासी ग्राम नालावास, तहसील लालसोट, जिला दौसा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रामगढ पचवारा, जिला दौसा ।
6. तहसीलदार लालसोट, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा
दिनांक 18.6.2018

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।

पित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक –31.12.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी लालसोट , जिला दौसा के निर्णय दिनांक 18.6.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 30.10.18 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोडेन्ट कमली वगैरह द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी करवाने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनकी आराजी खसरा नं. 17 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम नालावास तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। पडौसी खातेदारान द्वारा उनकी खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है । पटवारी हल्का द्वारा पूर्व में उक्त भूमि की पैमाईश की गई थी, जिसमें सीमाऐं सही ढंग से मिलान नहीं हो पाई और ना

ही असल सीमाओं का पता चल पाया । अतः उक्त आराजी की सीमाऐं चिन्हित करवाई जाकर पत्थरगढी तारबंदी करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी लालसोट ने निर्णय दिनांक 18.6.2018 पारित किया कि "मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार लालसोट के प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नं.0 17 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा स्थित ग्राम नालावास तहसील लालसोट के रिकार्डेड खातेदार हैं । जिन्होंने अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढी करवाना चाहा है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है । अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण से निर्धारित सीमाज्ञान शुल्क जमा करवाया जाकर प्रार्थीगण खातेदारान को उनकी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जावे एवं बाद सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाई जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायी जावे ।"

उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट कजोड वगै0 द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं । अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट्स विवादित भूमि के पडौस स्थित भूमि के खातेदार हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाये बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है । उनका कहना था कि ग्राम नालावास तहसील लालसोट के अन्तर्गत आता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसको नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में केवल तहसीलदार रामगढ पचवारा को ही पक्षकार बनाया गया था । प्रार्थना पत्र में कोई संशोधन भी नहीं किया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत पक्षकार होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपीलान्ट विवादित भूमि खसरा नं. 150 के पडौसी खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार थे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उन्हें पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं है तथा अपीलाधीन आदेश कानूनी प्रावधानों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है ।

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । बहस के दौरान रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर वकील अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई । प्रकरण में रेस्पोडेन्ट कमली वगैरह के प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी करवाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लालसोट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.6.2018 पारित कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को प्रार्थीगण से निर्धारित सीमाज्ञान शुल्क जमा करवाया जाकर प्रार्थीगण खातेदारान को उनकी भूमि का सीमाज्ञान करवाने एवं बाद सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाने हेतु निर्देशित किया गया है । विवादित भूमि जिसका सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाई जानी है वह खसरा नं. 17 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा ग्राम नालावास तहसील लालसोट के अन्तर्गत आती है । प्रकरण में रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार लालसोट ने ही रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि आराजी खसरा नं. 17 रकबा 14 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम नालावास का नक्शा शीट में पृथक नम्बर है । भूमि मौके पर खाली है प्रार्थीगण सभी उक्त भूमि के खातेदार हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लालसोट को प्रार्थीगण से निर्धारित सीमाज्ञान शुल्क जमा करवाया जाकर प्रार्थीगण खातेदारान को उनकी भूमि का सीमाज्ञान करवाने एवं बाद सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाने हेतु निर्देशित किया गया है । हम समझते हैं कि विवादित भूमि तहसील लालसोट के अन्तर्गत आने से प्रकरण तहसीलदार लालसोट को प्रेषित किया जाने में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । ऐसी स्थिति में हम अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनांक 18.6.2018 को उचित एवं विधि सम्मत पाते हैं तथा अपील अपीलांट में कोई सार नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी लालसोट, जिला दौसा दिनाक 18.6.2018 यथावत रखा जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर